

**PRESS RELEASE**

**INCOME TAX DEPARTMENT**

The Director General of Income Tax (System) as per powers assigned to it under clause (ii) of Para 14 read with clause (7) of Para 4 of the 'Centralized Processing of Returns Scheme, 2011', issued as per C B D T Notification No. SO 16(E) dated 4.1.2012, has decided to extend the time limit for filing ITR-V forms relating to Income Tax Returns filed electronically (without digital signature Certificate) for **A.Y. 2010-11 [filed during F.Y.2011-12] and for ITRs of A.Y. 2011-12 [filed on or after 1.4.2011] till 28<sup>th</sup> February, 2013. In respect of returns filed for A.Y. 2012-13 for which ITR-V forms are yet to be received at CPC and time of 120 days has also elapsed, time limit for filing of ITR-V is extended upto 31<sup>st</sup> March, 2013** or within a period of 120 days from the date of uploading of the electronic return data, whichever is later.

2. The Relaxation has been made since there are still a large number of electronic returns relating to A.Y. 2010-11, 2011-12 and 2012-13 for which the ITR-V forms have not yet been received at the Centralized Processing Centre (CPC), Bengaluru. These taxpayers are being given an opportunity to send ITR-V forms to the CPC, Bengaluru by the date mentioned in para 1 above.

3. Taxpayers can also verify their status of receipt of ITR-V at e-filing website <https://incometaxindiaefiling.gov.in>. They can also download the ITR-V from the same website from sub-menu **My Return** under main-menu of **My account** after login into abovementioned website.

4. The ITR-V forms should be sent by ordinary post or speed post addressed to CPC, Post Bag No.1, Electronic City Post Office, Bengaluru-560100.

## प्रेस प्रकाशनी

### आयकर विभाग

के.प्र.कर.बोर्ड अधिसूचना सं. एस ओ 16 (ई) दिनांक 04.01.2012 के अनुसार जारी विवरणियों की केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग योजना, 2011 के खण्ड (7) के पैरा 4 के साथ पठित खण्ड (ii) के पैरा 14 के अंतर्गत आयकर महानिदेशक (पद्धति) को सौंपी गई शक्तियों के अनुसार उन्होंने निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए (वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान दाखिल किए गए) और निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए (01.04.2011 को या उसके बाद दाखिल) इलेक्ट्रॉनिकली दाखिल किए गए आयकर विवरणियों के फार्म (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के बिना) से संबंधित आई टी आर- V फार्म दाखिल करने के लिए समय सीमा को एतद्द्वारा 28 फरवरी, 2013 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। 2012-13 के लिए दाखिल की गई विवरणियों के संबंध में जिसके लिए आई टी आर- V फार्म जो अभी सी पी सी में प्राप्त किए जाने हैं एवं और जिनकी 120 दिन की अवधि भी समाप्त हो गई है, उनके आई टी आर- V दाखिल करने के लिए समय सीमा 31 मार्च, 2013 तक बढ़ा दी गई है या इलेक्ट्रॉनिक विवरणी डाटा को अपलोडिंग करने की तारीख से 120 दिन की अवधि के अन्दर, जो भी बाद में हो दाखिल किए जा सकते हैं।

2. छूट इसलिए दी जा रही है क्योंकि अभी भी निर्धारण वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के संबंध में बहुत बड़ी संख्या में ऐसी इलेक्ट्रॉनिक विवरणियां हैं जिनके आई टी आर- V फार्म अभी तक केन्द्रीयकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सी पी सी), बेंगलूरु में प्राप्त नहीं हुए हैं। इन करदाताओं को ऊपर पैरा 1 में उल्लेखित तारीख तक आई टी आर- V फार्म सी पी सी बेंगलूरु में भेजने का अवसर दिया गया है।

3. करदाता ई-फाइलिंग वेबसाइट <https://incometaxindiaefiling.gov.in> पर आई टी आर -V प्राप्त होने की अपनी स्थिति की जांच भी कर सकते हैं। वह ऊपर उल्लेखित वेबसाइट पर लॉग इन करने के पश्चात् (My account) मेरा खाता के मुख्य मेन्यु के अंतर्गत सब मेन्यु मेरी विवरणी (My Return) से इसी वेबसाइट से आई टी आर -V फार्म डाउनलोड भी कर सकते हैं।

4. आई टी आर -V फार्मस सी पी सी, पोस्ट बैग नं. 1, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोस्ट ऑफिस, बेंगलूरु-560100 के पते पर साधारण डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जा सकते हैं।